**अधिसूचना संख्या 191/2015 [एफ. सं. वी.27015/2/2015-एसओ (एनएटी.कॉम)]/एसओ 1978(ई)**, **दिनांक 20-7-2015**

जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के तहत जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या एस.ओ.698(ई) दिनांक 3 अक्टूबर, 1997 द्वारा, केंद्रीय सरकार ने क्रम संख्या 12 पर, "नवसारी लायंस सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्ट, आशापुरी रोड, दुधिया तलाव, नवसारी, गुजरात - 396445" द्वारा "मणिलाल रिखवचंद कोठारी लायंस ऑर्थोपेडिक एंड जनरल हॉस्पिटल के लिए उपकरणों की खरीद और नवसारी, गुजरात में उक्त अस्पताल का संचालन" को कर निर्धारण वर्ष 1998-1999 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में निर्दिष्ट किया था, जिसे अधिसूचना संख्या एस.ओ.304(ई) दिनांक 29 मार्च, 2000 के तहत कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था, जिसे अधिसूचना संख्या एस.ओ.791(ई) दिनांक 5 जुलाई, 2004 के तहत वित्तीय वर्ष 2003-2004 से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था, जिसे अधिसूचना संख्या एस.ओ.1155(ड़) दिनांक 16 जुलाई, 2007 के तहत वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था, जिसे अधिसूचना संख्या एस.ओ. 853(ई) दिनांक 25 मार्च, 2009 के तहत वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था, जिसे अधिसूचना संख्या एस.ओ. 659(ई) दिनांक 12 मार्च, 2013 के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि अधिसूचना संख्या एस.ओ.1155(ई) दिनांक 16 जुलाई, 2007 द्वारा अनुमानित लागत को 156.80 लाख रुपये से बढ़ाकर 4.00 करोड़ रुपये कर दिया गया था, जिसमें 2.00 करोड़ रुपये की एक समग्र निधि भी शामिल है;

और जबकि उक्त परियोजना या योजना के अठारह वर्षों से आगे बढ़ने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति, यह संतुष्ट होने पर कि उक्त परियोजना या योजना को ठीक से निष्पादित किया जा रहा है, ने आयकर नियम, 1962 के नियम 11ड के उप-नियम (5) के तहत उक्त परियोजना या योजना को तीन साल की और अवधि के लिए बढ़ाने के लिए एक और सिफारिश की;

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "मणिलाल रिखवचंद कोठारी लायंस ऑर्थोपेडिक और जनरल अस्पताल के लिए उपकरणों की खरीद और नवसारी, गुजरात में उक्त अस्पताल का संचालन" योजना या परियोजना को अधिसूचित करती है, जो "नवसारी लायंस सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्ट, आशापुरी रोड, दुधिया तलाव, नवसारी, गुजरात - 396445" द्वारा 2.00 करोड़ रुपये की एक कॉर्पस निधि सहित 4.00 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में किसी भी बदलाव के बिना, वित्तीय वर्ष 2015-16 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि, अर्थात 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए पात्र परियोजना या योजना के रूप में किया जा रहा है।

■■